

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2005/टेली/आरसीआईएल/1/पार्ट. III

नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें।


मुख्य प्रबंध निदेशक/रेलटेल/गुडगांव।

दूरसंचार परिपत्र सं. 4/2014

विषय:- एसटीएम-4 बैंडविड्थ का प्रावधान करने के लिए रेलों द्वारा रेलटेल को लीज प्रभारों का भुगतान।

बोर्ड के दिनांक 12.06.2012 के समसंख्यक पत्र के अंतर्गत दूरसंचार परिपत्र सं. 06/2012 के तहत रेलों द्वारा रेलटेल को एसटीएम-4 बैंडविड्थ का प्रावधान करने के लिए लीज प्रभारों का भुगतान करने से संबंधित अनुदेश जारी किए गए थे। रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.08.2013 के समसंख्यक पत्र के तहत वर्ष 2013-14 के लिए यह प्रक्रिया जारी रखी गई थी।

भुगतान प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के मामले पर बोर्ड कार्यालय में विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त भुगतान की यह प्रक्रिया भावी वर्षों के लिए भी जारी रखी जाए।


(हरीश पवारिया)
निदेशक/दूरभाष

ई-मेल dtele@rb.railnet.gov.in
दूरभाष नं. 011-23388504

सं. 2005/टेली/आरसीआईएल/1/पार्ट. III

नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
- 2) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/निर्माण, सभी भारतीय रेलें।
- 3) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

संजय
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1) वित्त (व्यय)-II एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 2) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आईआरपीएमयू, नई दिल्ली।
- 3) मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
- 4) कार्यपालक निदेशक/दूरसंचार/अ.अ.मा.सं., लखनऊ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।